संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/1782 भोपाल, दिनांक 16/10/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।
4. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।

विषयः– कोविड–19 के मानक प्रबंधन हेतु कोविड–19ः स्टेट टेक्नीकल एडवाईजरी कमीटी की अनुशंसााओं के आधार पर निर्देश।

संदर्भः– कोविड–19ः स्टेट टेक्नीकल एडवाईजरी कमीटी बैठक दिनांक 07/10/2020 के चर्चा बिन्दु।

विषयांतर्गत लेख है कि कोविड–19 के मानक प्रबंधन एवं नियंत्रण के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन के लिए कोविड–19ः स्टेट टेक्नीकल एडवाईजरी कमीटी गठित है। दिनांक 07/10/2020 को आयुक्त स्वास्थ्य की अध्यक्षता में संपन्न उक्त समीति की बैठक में हुए चर्चा एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः–

1. कोविड–19 रोगियों का "डाउन ट्रान्सफर"

i. विषयांतर्गत लेख है कि संचालनालयीन पत्र क्र. आई.डी.एस.पी/2020/1592 दिनांक 11/09/2020 द्वारा कोविड–19 के भर्ती रोगियों के डाउन ट्रान्सफर के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

ii. कोविड–19ः तकनीकी समीति की अनुशंसा अनुसार होम आईसोलेशन हेतु संस्था से डाउन ट्रान्फसर करने के पूर्व रोगी के घर पर आईसोलेशन की समुचित व्यवस्था का सतर्कतापूर्वक आंकलन किया जाये।

iii. होम आईसोलेशन अवधि में रोगी का देखभालकर्ताओं तथा समुदाय के अन्य किसी भी व्यक्ति से संपर्क या मेलजोल न करने की विशेष सलाह दी जाये।

iv. चिकित्सक के परामर्श अनुरूप, कोविड पॉजीटिव किन्तु स्थिर रोगियों को लक्षण उत्पत्ति दिनांक के 7 दिवस पश्चात तथा लक्षण रहित पॉजीटिव रोगियों को सैम्पल कलेक्शन दिनांक के 7 दिवस पश्चात निम्न स्थितियों में होम आईसोलेशन में डाउन ट्रान्फसर करने हेतु निर्णय लिया जा सकता हैः–
   - **रोगी को बुखार उतारने वाली औषधियों के बगैर विगत 3 दिवसों से बुखार न होना।**
   - **सांस लेने में कठिनाई नहीं होना।**
   - **विगत 4 दिवसों से बिना ऑक्सीजन दिये रोगी का ऑक्सीजन सैचुरेशन > 95% होना।**
   - **समस्त नैदानिक पैरामीटर्स सामान्य होना।**

v. स्थिर रोगियों द्वारा होम आईसोलेशन अवधि के आगामी 10 दिवस तक अपने लक्षणों की स्व–निगरानी की जाये तथा किसी भी प्रकार के डी.सी.सी.सी.सी. लक्षण उत्पन्न होने पर सार्थक लाईट एप पर प्रतिवेदन तथा जिला कोविड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर (DCCCC) को सूचित किया जाये।

vi. डी.सी.सी.सी.सी एम.ओ द्वारा ऐसे रोगियों की कड़ी एवं सतर्क निगरानी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दिन में 2 बार अनिवार्यतः की जाये।

2. होम आईसोलेटेड कोविड पॉजीटिव रोगियों के लिए जांच

i. यदि होम आईसोलेशन के लिए रोगी का समुचित चयन किया गया हो तो, प्रायः कोई जांच की आवश्यकता ऐसे रोगियों को नहीं होती है।

ii. होम आईसोलेशन के दौरान रोगी द्वारा स्वयं अपने तापमान, श्वसन दर तथा ऑक्सीजन सैचुरेशन की निगरानी की जाना चाहिए।

iii. यह देखा गया है कि 100.2^0 F जैसे हल्के किन्तु लगातार 3 दिन से अधिक बुखार बने रहने पर कई कोविड पॉजीटिव रोगियों में CT (Chest) में मध्यम से गंभीर बदलाव होना प्रतिवेदित है। अतएव, 3 दिन से अधिक हल्का बुखार बने रहने पर भी होम आईसोलेशन से रोगी को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर पर रेफर किया जाये एवं डी.सी.सी.सी.सी के माध्यम से परिवहन सुनिश्चित किया जाये।

iv. होम आईसोलेशन के लिए रोगी को अनुमति देते समय रोगियों द्वारा स्वेच्छा अनुसार निम्न जांचे कराई जा सकती हैं – 1) CBC 2) RBS 3) S.Creatinine 4) CRP (if there is fever)

v. बच्चों में Multi System Inflammatory Syndrome in Children (MISC) का प्रतिवेदन कोविड–19 से संबद्ध किया जा रहा है जिसके लिए COVID IgG तथा IgM की जांच चिकित्सा महाविद्यालयीन डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में किया जाना उचित है।

vi. इस हेतु बच्चों में atypical symptoms अथवा क्लीनिकल स्थिति अनुसार कोई भी वैकल्पिक डायग्नोसिस स्थापित न होने की स्थिति में चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप COVID IgG तथा IgM की जांच आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से कराई जा सकती है।

3. जिलों में Elective Surgeries हेतु निर्देश

i. जिलों में कोविड–19 के परिदृश्य में मार्च 2020 से समस्त जिला अस्पतालों में Elective Surgeries को स्थगित किया गया है।

ii. आई.सी.एम.आर वर्जन 6 दिनांक 04/09/2020 में निर्दिष्ट है कि "No emergency procedure (including deliveries) should be delayed for lack of test and asymptomatic patients undergoing surgical / non-surgical invasive procedures should not to be tested more than once a week during hospital stay."

iii. जिले में Elective Surgeries प्रारम्भ करने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

- किसी भी Elective Surgery के पूर्व रोगी का आर.टी.पी.सी.आर. पद्धति से जांच होना एवं नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है।
- ऐसी शल्य क्रियायें, जो चिकित्सकीय आंकलन अनुरूप 2 माह से अधिक समय तक स्थगित करने पर रोगी पर कोई अधिक नकारात्मक प्रभाव न करती हो, को स्थगित रखा जाये।
- ऐसी शल्य क्रियायें, जो चिकित्सकीय आंकलन अनुरूप 2 माह से अधिक समय तक स्थगित करने पर रोगी के लिए हानिकारक हो, को समुचित Preoperative investigations तथा Physician fitness प्राप्त कर सुनिश्चित की जा सकती है।
- Elective Surgery के पूर्व Pre-Anesthetic Checkup (PAC) हेतु CBP, CRP, CXR तथा RTPCR for COVID-19 अनिवार्य रूप से कराई जाये।

4. कोविड–19 प्रबंधन हेतु ऑक्सीजन सप्लीमेन्टेशन

i. कोविड–19 के प्रबंधन के दौरान ऑक्सीजन का तर्कसंगत उपयोग किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

ii. रोगियों के ऑक्सीजन की दीर्घकालिक उपयोग से संभावित दुष्परिणाम (ROP in children, Bronchopulmonary dysplasia in adults etc.) से बचाव हेतु ऑक्सीजन डेलीवरी प्रणालियों से Wean किया जाना आवश्यक है।

iii. ऑक्सीजन प्रदायगी हेतु मात्रा का निर्धारण रोगी के ऑक्सीजन सैचुरेशन को दृष्टिगत रखते हुए उपचार करने वाले चिकित्सकों द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

5. Investigational therapies of COVID 19.

i. Remdesivir भारत सरकार द्वारा अनुशंसित Investigational therapy है जिसे ऑक्सीजन पर रखे गये मध्यम लक्षण वाले कोविड–19 रोगियों में चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप किया जा सकता है।

ii. इस हेतु भारत सरकार द्वारा रोगी की सूचित सहमति तथा चिकित्सकों का सांझा निर्णय (Informed consent & shared decision making) लिए जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गये हैं।

iii. चिकित्सकों के समूह द्वारा सांझा निर्णय अनुरूप किसी भी कोविड–19 के मध्यम लक्षण तथा ऑक्सीजन थेरेपी प्राप्त कर रहे रोगी में सशुल्क उपयोग करने के पूर्व औषधि के Contraindications के प्रति सतर्कता बरती जाये।

iv. गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में Remdesivir प्राप्त रोगियों के आउटकम पर Retrospective अध्ययन किया जाये ताकि उक्त औषधि के उपयोग उपरान्त कोविड–19 के रिकवरी के संबंध में प्रादेशिक साक्ष्य प्राप्त हो सके।

6. कोविड–19 के उपचार में आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग

i. आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक औषधियों के परस्पर प्रभाव/दुष्प्रभाव के बारे में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्पतालों में भर्ती कोविड रोगियों में आयुर्वेदिक औषधियों का परीक्षण (Trial) न किया जाये।

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं चि.शि. द्वारा अनुमोदित

(डॉ. वीणा सिन्हा),
अपर संचालक, आई.डी.एस.पी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/ भोपाल, दिनांक /10/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लो.स्वा. एवं परि.क. विभाग/चि.शि. विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
3. आयुक्त, आयुष विभाग, म.प्र।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
7. संयुक्त संचालक, आई.डी.एस.पी, म.प्र।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
9. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

अपर संचालक, आई.डी.एस.पी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश